न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0
पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

तारीख दायरा:–01.10.2024

प्रार्थना पत्र संख्या :– 14/24

1. गुरूनाम सिंह पुत्र सिंगारा सिंह
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र सिंगारा सिंह
3. सुखदेव सिंह पुत्र सिंगारा सिंह
4. इकबाल सिंह पुत्र प्यारासिंह
5. गुरूमीत सिंह पुत्र प्यारासिंह

जातियान रायसिक्ख, निवासी ग्राम दुनावल तहसील नगर जिला डीग। ––––प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग। –––––––अप्रार्थी

प्राथर्ना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार।

दिनांकः–04.12.2024

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बरान 239/0.22, 240/0.06, 241/0.07, 263/0.09, 264/0.12, 265/0.07, 242/0.08, 243/0.10, 244/0.22, 245/0.07, 832/0.15 बाके ग्राम दुनावल तहसील नगर मे स्थित है। साविक आराजी खसरा नं0 258, 259, 268, 330 बाके ग्राम दुनावल से हाल आराजी साविक आराजी नन्द सिंह पुत्र मोहर सिंह कौम रायसिक्ख का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुई। नन्दसिंह की मृत्यू हो जाने के बाद उनके वारिसान सिंगारा सिंह व प्यारा सिंह है, सिंगारा सिंह का नामांतकरण प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हुआ तथा प्यारा सिंह के उत्तराधिकारी 4 व 5 है। सैटिलमेंट कर्मचारियो ने नई जमांबदी बनाते समय उक्त आराजी पर प्रार्थीगण जाति रायसिक्ख के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दी गई, जो गलत है।

अत प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की जाति राजपूत के स्थान पर रायसिक्ख दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना के संबंध मे तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थीगण की जाति राजपूत के स्थान पर रायसिक्ख किया जाने को स्वीकार किया है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली व तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया। पत्रावली मे सलंग्ल जमांबदी संवत् 2024–2028 के खाता संख्या 91 मे प्रार्थीगण के दादाजी नन्द सिंह पुत्र मोहर सिंह की जाति रायसिक्ख दर्ज है, परन्तू भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई जमावंदी सवंत् 2036 के खाता संख्या 202, 203 मे सिंगारा सिंह व प्यारासिंह के पिता नन्दसिंह की जाति राजपूत दर्ज कर दी गई, जो कि भू–प्रवंध विभाग को किसी की जाति

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

बदलने का कोई अधिकार नही है। अत जमांबदी संवत 2024–2028 व तहसीदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट के अधार पर आराजी खसरा नम्बरान 239/0.22, 240/0.06, 241/0.07, 263/0.09, 264/0.12, 265/0.07, 242/0.08, 243/0.10, 244/0.22, 245/0.07, 832/0.15 बाके ग्राम दुनावल तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण की जाति राजपूत के स्थान पर रायसिक्ख शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार नगर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

4/12/24

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०